संख्या-38/2015/1147/26-3-2015-52(एस.एन.डी.)/2004

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 12 मई 2015

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना "एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन" के अंतर्गत 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) में किये गये आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय जनजाति विकास के पत्रांक-28/15/ज0जा0वि0/2015-16, दिनांक 23-04-2015 के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत जनपद सोनभद्र में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में किये गये आय-व्ययक प्राविधान रूपया-39.70 लाख के सापेक्ष रूपया-19.85 लाख (रू0 उन्नीस लाख पचासी हजार मात्र) की धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रमांक	मद का नाम	लक्ष्य/प्रस्तावित धनराशि	
		भौतिक	वित्तीय (रू0 लाख में)
1	आर्थिक विकास कार्यक्रमः- अ- कृषि विकास(बीज, खाद एवं कीटनाशक दवा रू0 5000/-प्रति लाभार्थी) ब- पशुपालन योजनाः- 1- गाय/भैंस पालन (रू0 10000/- प्रति लाभार्थी) 2- भेड़ पालन - तदैव- 3- बकरी पालन -तदैव- 4- सुअर पालन -तदैव	 44 10 10 09 09	 2.20 1.00 1.00 0.90 0.90
2	स्वच्छ पेयजल योजना (इण्डिया मार्का-प्प् हैण्डपम्प रू0 88200/- प्रति हैण्डपम्प	08	7.056
	आवास योजना प्रति आवास रू0 75000/-	09	6.75
4	अन्य व्यय(कार्यालय व्यवस्था हेतु)		0.044
	योग-	99	19.85

(रूपया-उन्नीस लाख पचासी हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में कोई भी धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से उतनी धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि का तुरन्त व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक धनराशि का आहरण कदापि न किया जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र समय से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और जो धनराशि अवशेष बच जाये उसे शासन को समय से समर्पित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में शासन की पूर्व अनुमति/स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त कर ही व्यय किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-05-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-38/2015/1147 (1)/26-3-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
5-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6-निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7-राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
8-गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति ।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।